खण्ड – 3 संख्या – 2

बिहार विधान–सभा वाद–वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग –2

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बुधवार, तिथि 06 नवम्बर, 1985 ई०

खण्ड – 3 संख्या – 2

बिहार विधान–सभा वाद–वृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान–सभा

का

कार्य–विवरण

सभा का अधिवेशन पटना के सभा–सदन में बुधवार, तिथि 06 नवम्बर, 1985 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष, **श्री शिवचन्द्र झा** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

शून्यकाल की चर्चाएँ :

(क) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर जाँचोपरान्त कार्रवाई :

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जो महत्वपूर्ण विषय पर शून्यकाल की सूचना देता हूँ। श्री जगदीश प्रसाद, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला मत्स्यपालक विकास अभिकरण में समस्तीपुर सरकारी नीति के विरुद्ध तृतीय, चतुर्थ श्रेणी एवं दैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति की है तथा व्यापक पैमाने पर गैरमछुओं के साथ जलकरों दीर्धकालीन वन्दोवस्ती घूस लेकर किया है, अतः सरकार इसे जाँच कराकर सख्त कार्रवाई करे।

(ख) चापाकल की व्यवस्था :

श्री अब्दुलसुभान : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत बायसी

विधान–सभा क्षेत्र में पचास प्रतिशत लोग नदी और नाले का गन्दा पानी पीकर रोगपीड़ित होते जा रहे हैं, अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त क्षेत्र में सरकार कम–से–कम दस हजार चापाकल गड़वाने की व्यवस्था करें।

(ग) हत्या एवं राहजनी से तबाही :

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आदित्सपुरी कोलोनी में प्रतिदिन हत्या, रहाजनी एवं लूट से जनता परेशान है । दिनांक 3–11–85 को आदित्यपुर में श्री जय राम शर्मा की हत्या कर दी गयी । विरोधस्वरुप सम्पूर्ण आदित्यपुर कोलोनी बन्द रहा । आरक्षी अधीक्षक चाईबासा राजेन्द्र सिंह के अप्रत्यक्ष संरक्षण के कारण हत्यारो की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है और आरक्षी अधीक्षक का संरक्षण प्राप्त होता है हत्यारों को। गिरफ्तारी की सरकार अविलम्ब व्यवस्था करें।

(घ) अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था :

श्री हरखू झा : अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था, गन्दगी और दवाओं की कमी दूर करने की माँग को लेकर नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कनीय चिकित्सकों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिसके चलते देख–रेख के अभाव में नालन्दा मेंडिकल कॉलेज अस्पताल में तीन मरीज बेमौत मर गये। अतः इस ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।